आर्ट ऑफ लिविंग के गुरु पूर्णिमा महोत्सव में गूंजे भक्ति के सुर

प्रथम नमन करूं गुरु चरणन में, 68 तीर्थ उन चरणन में, जो गुरु कृपा करें

● भोपाल / राज न्यूज नेटवर्क



प्रथम नमन करूं गुरु चरणन में, अड़सठ तीर्थ उन चरणन में... जो गुरु कृपा करें... गुरु महिमा को बयां करते भक्ति और कृतज्ञता भाव से भरे भजनों और जय गुरुदेव के उद्घोष से रवींद्र भवन गूंज उठा। गुरुवार को आर्ट ऑफ लिविंग द्वारा आयोजित गुरु पूर्णिमा महोत्सव में सैकड़ों साधकों और श्रद्धालुओं ने अपने पूज्य गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के प्रति आस्था और समर्पण व्यक्त किया। कार्यक्रम का शुभारंभ गुरु पूजा एवं गुरु वंदना की भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति से हुआ।

बड़ौदा से आए सुप्रसिद्ध भजन गायक गौतम डबीर ने गुरु भक्ति और ईश्वर को समर्पित भजनों की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। उन्होंने जय जय गणपति देवा..., शिव शिव ओम... और जय-जय दुर्गे मां... गीत प्रस्तुत किएं। भक्ति संगीत के बाद गौतम डबीर ने फिल्मी गीतों और पारंपरिक गरबा की मनमोहक धुनों से समारोह में उल्लास का नया रंग भर दिया।

श्रद्धालुओं ने संगीत की लय पर झूमते गाते गुरु वंदना का उत्सव मनाया। आर्ट ऑफ लिविंग के आयोजकों ने कहा कि गुरु पूर्णिमा केवल गुरु के प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का पर्व नहीं, बल्कि जीवन में सेवा, मानवता, सकारात्मक सोच और आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का अवसर भी है।



गुरु मां का अभिनंदन

गुरु पूर्णिमा पर दुष्यन्त संग्रहालय गुरु वंदना से गूंज उठा। कला वृंद सर्व कल्याण समिति के सदस्यों ने गुरु मां डॉ. अश्विना रांगणेकर का सम्मान किया। संगीत प्रस्तुतियां भी हुई।

प्राचार्य सहित शिक्षक सम्मानित: कमला नेहरू सांदीपनि विद्यालय में गुरु सम्मान समारोह में प्राचार्य समेत शिक्षकों का सम्मान हुआ। समारोह में संचालक लोक शिक्षण डीएस कुशवाहा, संयुक्त संचालक धर्मेंद्र शर्मा, उप संचालक कनक प्रसाद, डीईओ अभिनव आर्य, डीपीसी सिद्धार्थ जैन तथा विकासखंड शिक्षा अधिकारी विजेता सूर्यवंशी की उपस्थिति रही।

सेवानिवृत्त शिक्षकों का सम्मान



मप्र शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर ने कहा कि भारत में गुरु- शिष्य परंपरा अनंत काल से रही है। बैरसिया ब्लॉक मुख्यालय पर हुए गुरु पूर्णिमा समारोह में वे बतौर मुख्य अतिथि मौजूद थे। अध्यक्षता राजीव शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि प्रांतीय योग शिक्षक संघ प्रमुख देवी दयाल भारती, विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीवास्तव, प्राचार्य गीता जोशी एवं हरिनारायण मिश्र के अलावा तहसील अध्यक्ष दिनेश शुक्ला मौजूद थे। इस मौके पर सेवानिवृत शिक्षकों का सम्मान किया गया।

एक शाम रफी के नाम कार्यक्रम आज

भोपाल। नवांकुर ग्रुप द्वारा कार्यक्रम 'एक शाम रफी के नाम' का आयोजन शुक्रवार को मोहम्मद रफी की पुण्यतिथि 31 जुलाई को रवींद्र भवन के हंसध्वनि सभागार में शाम 6.30 बजे से होगा। कार्यक्रम में युवा गायक नानू गुर्जर जो जी टीवी सारेगामा के रनरअप रहे हैं अपनी प्रस्तुति देंगे। गायक इमरान अख्तर कलकत्ता से और आशीष मिश्रा,मुंबई भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। कार्यक्रम में गायिका श्रीजा उपाध्याय और आर्या पुरोहित भी युगल गायन से रफी साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे।

श्रावण मेला: इसरदा स्टेशन पर पांच ट्रेनों का अस्थायी ठहराव

भोपाल। श्रावण मेला पर जयपुर मंडल के इसरदा स्टेशन पर भोपाल मंडल होकर संचालित 5 ट्रेनों को 3 , 10 , 17 एवं 24 अगस्त, को अस्थायी ठहराव दिया जाएगा। इसरदा स्टेशन पर जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस सुबह 10:01 बजे आगमन एवं 10:03 बजे प्रस्थान,अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस सायं 18:32 बजे आगमन एवं 18:34 बजे प्रस्थान, मैसूर-जयपुर एक्सप्रेस प्रातः 04:50 बजे आगमन एवं 04:52 बजे प्रस्थान, दुर्ग-अजमेर एक्सप्रेस दोपहर 13:30 बजे आगमन एवं 13:32 बजे प्रस्थान और साईंनगर शिर्डी-बीकानेर का सायं 19:14 बजे आगमन एवं 19:16 बजे प्रस्थान रहेगा।

दो जोड़ी ट्रेनें निरस्त : झड़वासा-बांदनवाड़ा एवं सिंगावल स्टेशनों के मध्य नॉन-इंटरलॉकिंग ब्लॉक लिया जा रहा है। जिससे संतरागाछी-अजमेर स्पेशल 14, 21 एवं 28 सितंबर को और अजमेर-संतरागाछी स्पेशल 17 एवं 24 सितंबर तथा 01 अक्टूबर को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रद्द रहेगी। साथ ही19711 जयपुर-भोपाल एक्सप्रेस 06 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक और 19712 भोपाल-जयपुर एक्सप्रेस 06 अक्टूबर से 08 अक्टूबर तक बांदनवाड़ा स्टेशन पर ठहराव नहीं करेगी।

ट्रेन के अतिरिक्त फेरे होंगे संचालित: भोपाल। यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए भोपाल मंडल होकर संचालित 01925/01926 कानपुर सेंट्रल-मदुरई-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन के अतिरिक्त फेरे संचालित करने का निर्णय लिया है। कानपुर सेंट्रल-मदुरई विशेष ट्रेन रोजाना बुधवार को 5 अगस्त से 26 अगस्त तक कुल 4 फेरे संचालित किए जाएंगे। यह ट्रेन कानपुर सेंट्रल से 8:10 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार मदुरई-कानपुर सेंट्रल विशेष ट्रेन प्रत्येक शनिवार को 8 अगस्त से 29 अगस्त तक कुल 4 फेरे संचालित किए जाएंगे। यह ट्रेन मदुरई से 2:30 बजे प्रस्थान करेगी।

ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

कॉर्पोरेट कार्यालय: कोहिनूर स्क्वायर, 47वां तल, एन.सी. केलकर मार्ग, आर.जी. गडकरी चौक, दादर (पश्चिम), मुंबई, महाराष्ट्र 400028.

माँग सूचना

वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3(1) के अंतर्गत। अधोहस्ताक्षरी, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (उक्त अधिनियम) के अंतर्गत ओमकारा एसेट रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी हैं। यह कि समनुदेशक (कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड) ने समनुदेशक और ओएआरपीएल के बीच **30 सितंबर 2025** को हुए समनुदेशन समझौते के तहत उक्त वित्तीय सहायता, सुरक्षित परिसंपत्तियों, गारंटियों और किसी भी अन्य अंतर्निहित प्रतिभूति हित के संबंध में अपने सभी अधिकार, शीर्षक, हित और उक्त गैर निष्पादित परिसंपत्तियों (जिन्हें आगे वित्तीय परिसंपत्तियों के रूप में संदर्भित किया जाएगा) के संबंध में अपने सभी अन्य अधिकार, शीर्षक और हित ओमकारा पीएस16/2025-26 ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पक्ष में सौंप दिए हैं। प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(12) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग नोटिस जारी किए हैं, जिसमें निम्नलिखित उधारकर्ता(ओं) ("उक्त उधारकर्ता(ओं)") से उन्हें जारी किए गए संबंधित मांग नोटिस में उल्लिखित राशियों को चुकाने का आह्वान किया गया है, जो नीचे भी दिए गए हैं। उपरोक्त के संबंध में, उक्त ऋणी(यों) को एक बार फिर सूचित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 60 दिनों के भीतर, नीचे उल्लिखित राशि, साथ ही नीचे उल्लिखित तिथि(यों) से भुगतान और/या वसूली की तिथि तक लागू अतिरिक्त ब्याज, उक्त ऋणी(यों) द्वारा निष्पादित अन्य दस्तावेजों/लेखों, यदि कोई हों, के साथ पठित ऋण समझौते के अंतर्गत देय, ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को भुगतान करें। ऋण की देय चुकौती हेतु प्रतिभूति के रूप में, उपर्युक्त समनुदेशन समझौते के संबंध में उक्त ऋणी(यों) द्वारा निम्नलिखित संपत्तियाँ क्रमशः ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के पास गिरवी रखी गई हैं।

क्र. सं.	उधारकर्ता/गारंटर का नाम	मांग सूचना दिनांक एवं राशि	सुरक्षित परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण
1.	**(ऋण खाता संख्या** LNMEBIA000127157 (पुराना) 80900005646260 (नया) ब्यावरा ब्रांच) **श्री सुनील मीना (उधारकर्ता) श्रीमती पूजा बाई (सह-उधारकर्ता)**	**26-06-2026 रु. 1597135.25/- तिथि तक 26.06.2026**	मकान नंबर 06, जिसका क्षेत्रफल 1800 वर्ग फुट या 167.28 वर्ग मीटर है, पटवारी हल्का नंबर 50, वार्ड नंबर 08, गाँव बिबाखेड़ी, तहसील- चाचौड़ा, जिला- गुना, मध्य प्रदेश-473115; जिसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं: पूर्वः राम नारायण जाटव का मकान / पश्चिमः सड़क / उत्तरः श्री कैलाश नारायण का मकान / दक्षिणः सड़क पर स्थित संपत्ति समस्त अंश एंव भाग ।

यदि उक्त ऋणी ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को उपरोक्त भुगतान करने में विफल रहते हैं, तो ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड अधिनियम की धारा 13(4) और लागू नियमों के तहत उपरोक्त सुरक्षित संपत्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगा, जिसकी लागत और परिणामों का जोखिम पूरी तरह से उक्त ऋणी के स्वयं की जिम्मेदारी पर होगा। उक्त ऋणी अधिनियम के तहत ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड की पूर्व लिखित सहमति के बिना उपरोक्त संपत्तियों को बिक्री, पट्टे या अन्यथा किसी भी प्रकार से हस्तांतरित करने से प्रतिबंधित हैं। कोई भी व्यक्ति जो उक्त अधिनियम के तहत बनाए गए अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करता है या उल्लंघन के लिए उकसाता है, उसे अधिनियम के तहत कारावास और/या दंड का जिम्मेदार होगा।

स्थानः गुना
दिनांकः 31.07.2026

हस्ता/-प्राधिकृत अधिकारी
ओमकारा एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के लिए
(ओमकारा पीएस16/2024-25 के ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड

(CIN: L65922RJ2011PLC034297) पंजीकृत एवं निगमित कार्या.: 201-202, द्वितीय मंजिल, साउथ एंड स्क्वायर, मानसरोवर इंडस्ट्रीयल एरिया, जयपुर-302020

AAVAS FINANCIERS LTD. SAPNE AAPKE, SAATH HAMAARA

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

कम्पनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा निम्न सूची के अनुसार ऋणी का खाता एन.पी.ए. होने के कारण निम्न तालिका के अनुसार ''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूमिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 '' की धारा 13(2)के अन्तर्गत 60 दिन का नोटिस दिया गया था। नोटिस के अनुसार यदि ऋणी /गारण्टर 60 दिवस के अंदर बकाया ऋण राशी जमा नहीं कराते हैं तो ऋण की वसूली बंधक सम्पत्ति को नीलाम कर के की जायेगी। डिमाण्ड नोटिस की तामील ना होने के कारण नोटिस की छायाप्रति बंधक सम्पत्ति पर चस्पा की जा चुकी है। अतः आपको यह सूचित किया जाता है कि नोटिस प्रकाशित दिनांक से 60 दिन के अन्दर-अन्दर निम्न तालिका के अनुसार रुपया तथा भविष्य का ब्याज, वसूली में होने वाला खर्चा जमा कराये अन्यथा एक्ट की धारा 13(4)एवं 14 के प्रावधानों के अन्तर्गत निम्न सूचि के अनुसार साम्यिक बंधक सम्पत्ति का भौतिक कब्जा लेने एवं इसे नीलामी कर ऋण राशि की वसूली कराने के लिए प्राधिकृत अधिकारी स्वतंत्र होंगे।

ऋणी का नाम	मांग सूचना की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
मलखान सिंह राजपूत, रेखा राजपूत खाता सं. 17120570046723 1 जमानतदार : भीकम सिंह ठाकुर खाता सं. 161205700286442 व 161205700283608	**28 जुलाई 2026 ₹ 938915/- व ₹ 1320234/- व ₹ 1285511/- 28 जुलाई 2026**	**वार्ड नं. 17, नगर पालिका लिमिट के अन्दर नन्दीपुरा, विदिशा, मध्य प्रदेश क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट**

दिनांक 31.07.2026 **प्राधिकृत अधिकारी आवास फाइनेंसियर्स लिमिटेड**

कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

CAPRI GLOBAL HOUSING FINANCE LIMITED

पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट कार्यालय: 502, टावर-ए, पेनिनसुला बिजनेस पार्क, सेनापति बापट मार्ग, लोअर परेल, मुंबई-400013
अंचल कार्यालय: 9-बी, द्वितीय तल, पूसा रोड, राजिंदर प्लेस, नई दिल्ली-110060

परिशिष्ट-IV-A नियम 8 (6) और 9 (1) के परंतुक देखें,
अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के प्रावधान के साथ पठित। इसके द्वारा आम जनता को और विशेष रूप से उधारकर्ता(कों) और गारंटर(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित लेनदार के पास गिरवी/भारित है, जिसका रचनात्मक/भौतिक कब्जा कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड सुरक्षित लेनदार के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, कैप्री ग्लोबल कैपिटल लिमिटेड सुरक्षित लेनदार को नीचे उल्लिखित उधारकर्ता से देय नीचे उल्लिखित राशि की वसूली के लिए नीचे उल्लिखित तिथियों पर ''जहां है जैसी है'', ''जो है जैसी है जैसी है'' और ''जो कुछ भी है'' के आधार पर बेची जाएगी। आरक्षित मूल्य, धरोहर राशि और संपत्ति का विवरण निम्न दर्शाया गया है।

सं. क्र..	1. उधारकर्ता का नाम 2. बकाया राशि	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	1. ई-नीलामी की तिथि और समय 1. ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 2. संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय	1. आरक्षित मूल्य 2. संपत्ति की अग्रिम राशि 3. वृद्धिशील मूल्य
1.	1. श्री जसवंत सिंह लोधी (उधारकर्ता) 2. श्रीमती सविता लोधी (सह-उधारकर्ता) लोन अकाउंट नंबर LNHLVID000089844 (पुराना) / 51200000890243 (नया) 3. 29-07-2026 तक 15,04,160/- रुपये (पंद्रह लाख चार हजार एक सौ साठ रुपये) और उस पर लागू होने वाला भविष्य का ब्याज।	वह पूरी प्रॉपर्टी (ज़मीन का टुकड़ा) जिसका क्षेत्रफल 465 वर्ग फुट यानी 43.21 वर्ग मीटर है। यह ज़मीन सर्वे नंबर 28/1/3/Kha/3/1 (नया) / 28/1/3/Kha/3 (पुराना), प.ह.नंबर 62, वार्ड नंबर 31, गली नंबर 02, पी.डब्ल्यू.आई. बंगला शेरपुरा, ग्राम टमोरिया, तहसील और जिला विदिशा, मध्य प्रदेश 464001 के हिस्से में स्थित है। इसकी सीमाएँ इस प्रकार हैं- उत्तर- सड़क, दक्षिण- दूसरों का खाली प्लॉट, पूर्व- राजेश विश्वकर्मा का घर, पश्चिम- केशव परिहार का घर।	**1. ई नीलामी तिथि: 09.09.2026 (दोपहर 3:00 से 4:00 बजे के बीच) 2. केवाईसी के साथ ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि: 08.09.2026 3. निरीक्षण की तिथि: 07.09.2026**	**आरक्षित मूल्य: 7,40,000/- रुपये (सात लाख चालीस हजार रुपये)। बयाना राशि: रू 74,000/- रुपये (चौहत्तर हजार रुपये) वृद्धिशील मूल्य: रू 5,000/- रुपये (पाँच हजार रुपये)**

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के सुरक्षित ऋणदाता की वेबसाइट www.caprihomeloans.com/auction पर दिए गए लिंक को देखें।

ऑनलाइन ई-नीलामी बिक्री के नियम और शर्तें:-

1. संपत्ति ''जैसी है जहाँ है, जैसी है और बिना किसी सहायता के'' के आधार पर बेची जा रही है, इसलिए बिक्री किसी भी प्रकार की वारंटी और क्षतिपूर्ति के बिना है।
2. ई-नीलामी बिक्री नोटिस में निर्दिष्ट संपत्ति/परिसंपत्तियों का विवरण (अर्थात विस्तार और माप) सुरक्षित लेनदार की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है और सुरक्षित लेनदार किसी भी त्रुटि, गलत बयान या चूक के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। वास्तविक विस्तार और आयाम भिन्न हो सकते हैं।
3. सुरक्षित लेनदार द्वारा जारी ई-नीलामी बिक्री नोटिस आम जनता को अपनी बोलियां प्रस्तुत करने के लिए एक निमंत्रण है और यह सुरक्षित लेनदार की ओर से किसी भी प्रतिबद्धता या किसी प्रतिनिधित्व का गठन नहीं करता है और न ही माना जाएगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सुरक्षित लेनदार के साथ शीर्षक विलेखों की प्रतियों का अवलोकन करें और बोली/ओं को प्रस्तुत करने से पहले संपत्ति/परिसंपत्तियों के शीर्षक और वर्तमान स्थिति और संपत्ति को प्रभावित करने वाले दावों/बकाया के बारे में स्वतंत्र पूछताछ/उचित परिश्रम करें।
4. नीलामी/बोली केवल ''ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक मोड'' के माध्यम से वेबसाइट **https://sarfaesi.auctiontiger.net** या सेवा प्रदाता मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, अहमदाबाद द्वारा प्रदान किए गए ऑक्शन टाइगर मोबाइल ऐप के माध्यम से होगी, जो ई-नीलामी मंच के माध्यम से नीलामी की पूरी प्रक्रिया की व्यवस्था और समन्वय करेगा।
5. बोलीदाता अपनी पसंद के स्थान से बोली लगाने के लिए ई-नीलामी में भाग ले सकते हैं। बोलीदाता को स्वयं इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करनी होगी। सुरक्षित लेनदार/सेवा प्रदाता इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क समस्याओं, सिस्टम क्रैश, बिजली की विफलता आदि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
6. ई-नीलामी पर विवरण, सहायता, प्रक्रिया और ऑनलाइन बोली लगाने के लिए संभावित बोलीदाता सेवा प्रदाता **मेसर्स ई-प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ऑक्शन टाईगर अहमदाबाद (संपर्क सूत्र 079-61200531/576/596/559/598/587/594/.), श्री रामप्रसाद शर्मा मोबाईल नं. 800-002-3297/79-6120 0559. ईमेल: ramprasad@auctiontiger.net से संपर्क करें।**
7. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर अपना नाम पहले ही पंजीकृत करवाना होगा और उन्हें यूज़र आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इच्छुक बोलीदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे सेवा प्रदाता से पासवर्ड प्राप्त होने के तुरंत बाद ही उसे बदल दें।
8. ई-नीलामी में भाग लेने के लिए, इच्छुक बोलीदाताओं को आरक्षित मूल्य (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) का 10% वापसी योग्य अग्रिम राशि जमा करनी होगी, जो इच्छुक बोलीदाताओं द्वारा 'कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड' के पक्ष में **08-09-2026 तक या उससे पहले डिमांड ड्राफ्ट/एनईएफटी/आरटीजीएस** के माध्यम से देय होगी।
9. इच्छुक बोलीदाताओं को विधिवत भरा हुआ बोली फॉर्म (प्रारूप **https://sarfaesi.auctiontiger.net** पर उपलब्ध है) ईएमडी के रूप में डिमांड ड्राफ्ट प्रेषण के साथ एक सीलबंद लिफाफे में प्राधिकृत अधिकारी, **कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय यूनिट संख्या 101-103, प्रथम तल, प्लॉट संख्या 103/4, कृष्णा टावर, स्कीम संख्या 140, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, पिपलियाने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश को 08-09-2026 को अपराह्न 03:00** बजे तक जमा करना होगा। सीलबंद लिफाफे पर ''उधारकर्ता का नाम'' की संपत्ति के लिए ऋण खाता संख्या (जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है) में ई-नीलामी बिक्री में भाग लेने हेतु बोली'' लिखा होना चाहिए।
10. ईएमडी के साथ बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि की समाप्ति के बाद, प्राधिकृत अधिकारी अपने द्वारा प्राप्त बोलियों की जांच करेगा और योग्य बोलीदाताओं (जिन्होंने आरक्षित मूल्य से अधिक अपनी बोलियां उद्धृत की हैं और सुरक्षित लेनदार के साथ निर्दिष्ट ईएमडी का भुगतान किया है) के विवरण की पुष्टि सेवा प्रदाता मेसर्स ई प्रोक्योरमेंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड से करेगा ताकि वे केवल उन्हीं बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री सूचना में उल्लिखित तिथि और समय पर ऑनलाइन परस्पर बोली/नीलामी कार्यवाही में भाग लेने की अनुमति दे सकें।
11. योग्य बोलीदाताओं के बीच परस्पर बोली, योग्य बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत उच्चतम बोली से शुरू होगी। परस्पर बोली की प्रक्रिया के दौरान, प्रत्येक के लिए ''10'' मिनट का असीमित विस्तार होगा, अर्थात यदि अंतिम विस्तार से 10 मिनट के भीतर बोली लगाई जाती है, तो ई-नीलामी का समाप्ति समय प्रत्येक बार 10 मिनट के लिए स्वचालित रूप से बढ़ जाएगा।
12. एक बार की गई बोलियां रद्द या वापस नहीं ली जाएंगी। बोलीदाता को दी गई यूजर आईडी से की गई सभी बोलियां उसके द्वारा ही की गई मानी जाएंगी।
13. ई-नीलामी कार्यवाही समाप्त होने के तुरंत बाद, उच्चतम बोलीदाता को ई-नीलामी बिक्री कार्यवाही में सफल बोलीदाता घोषित होने के लिए प्राधिकृत अधिकारी, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय इकाई क्रमांक 101-103, प्रथम तल, प्लॉट क्रमांक 103/4, कृष्णा टावर, स्कीम क्रमांक 140, आईसीआईसीआई बैंक के ऊपर, पिपलियाने स्क्वायर इंदौर, मध्य प्रदेश और सेवा प्रदाता को ई-मेल द्वारा अपने द्वारा उद्धृत बोली की अंतिम राशि की पुष्टि करनी होगी।
14. सफल बोलीदाता को बिक्री के 24 घंटे के भीतर बोली राशि का 25% (ईएमडी सहित) अपने पक्ष में जमा करना होगा और शेष 75% बोली राशि कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के पक्ष में डीडी/पे ऑर्डर/एनईएफटी/आरटीजीएस/चेक द्वारा बिक्री की तारीख से 15 दिनों के भीतर जमा करनी होगी।
15. सफल बोलीदाता/नीलामी क्रेता द्वारा निर्धारित समय के भीतर उपरोक्त निर्धारित राशि का भुगतान करने में चूक होने पर, बिक्री रद्द कर दी जाएगी और पहले से भुगतान की गई राशि (ईएमडी सहित) जब्त कर ली जाएगी और संपत्ति को फिर से बिक्री के लिए रखा जाएगा।
16. सफल बोलीदाता के अनुरोध पर, प्राधिकृत अधिकारी अपने पूर्ण विवेक से बोली की शेष राशि जमा करने के लिए लिखित रूप में अतिरिक्त समय दे सकता है।
17. सफल बोलीदाता को बिक्री मूल्य का 1% टीडीएस (बिक्री आय में से) (यदि लागू हो) के रूप में देना होगा और प्राधिकृत अधिकारी को टीडीएस प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा तथा बिक्री मूल्य की पूरी राशि (टीडीएस के रूप में 1% की कटौती के बाद) प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किए जाने के 15 कार्य दिवसों के भीतर या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य विस्तारित समय के भीतर, अग्रिम राशि समायोजित करते हुए जमा करनी होगी, जिसके अभाव में अग्रिम जमा राशि जब्त कर ली जाएगी।
18. नगरपालिका/पंचायत कर, बिजली बकाया (यदि कोई हो) और अन्य प्राधिकारियों का बकाया (यदि कोई हो) बिक्री प्रमाणपत्र जारी करने से पहले सफल बोलीदाता द्वारा चुकाया जाना होगा। बोलियाँ संपत्ति से संबंधित सभी वैधानिक बकाया को ध्यान में रखते हुए लगाई जाएँगी।
19. सफल बोलीदाता के पक्ष में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री प्रमाणपत्र केवल संपूर्ण क्रय मूल्य/बोली राशि जमा करने और सभी करों/प्रभारों के भुगतान के संबंध में आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने पर ही जारी किया जाएगा।
20. परिवहन, स्टाम्प शुल्क, पंजीकरण शुल्क और अन्य आकस्मिक शुल्कों के लिए लागू कानूनी शुल्क नीलामी क्रेता द्वारा वहन किए जाएँगे।
21. प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई कारण बताए ई-नीलामी बिक्री की कार्यवाही को स्थगित/रद्द कर सकते हैं। यदि निर्धारित ई-नीलामी बिक्री बिक्री की निर्धारित तिथि से **30 दिन** पहले किसी बाद की तिथि के लिए स्थगित की जाती है, तो इसे सेवा प्रदाता की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
22. प्राधिकृत अधिकारी का निर्णय अंतिम, बाध्यकारी और निर्विवाद है।
23. बोलियाँ प्रस्तुत करने वाले सभी बोलीदाताओं को ई-नीलामी बिक्री के नियमों और शर्तों को पढ़ और समझ लिया गया माना जाएगा और वे उनसे बाध्य होंगे।
24. संपत्ति में रखी चल वस्तु (यदि कोई हो) बिक्री के साथ प्रस्तावित नहीं है।
25. कृपया ध्यान दें कि अकेले बिडर के हिस्सा न लेने पर जब्ती हो जाएगी। अगर धरोहर जमा करने के बाद सिर्फ एक बोलीकर्ता पात्र पाया जाता है, तो ऐसे बोलीकर्ता को तय तारीख और समय पर लॉग इन करना होगा और लाइव ई-ऑक्शन में हिस्सा लेना होगा। सिर्फ बिड फॉर्म जमा करना और धरोहर राशि जमा करना हिस्सा लेना नहीं माना जाएगा। अगर अकेला पात्र बोलीकर्ता किसी भी कारण से (ई-ऑक्शन सर्विस प्रोवाइडर की सर्टिफाइड टेक्निकल खराबी को छोड़कर) लॉग इन करने और लाइव ई-ऑक्शन में हिस्सा लेने में असफल हो जाता है, तो धरोहर राशि बिना किसी और नोटिस के अपने आप जब्त हो जाएगी, और प्राधिकृत अधिकारी बोलीकर्ता के प्रति किसी भी देयता के बिना नीलामी निरस्त करने और/या नई नीलामी करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
26. **अधिक जानकारी और प्रश्नों के लिए, कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी श्री संदीप दीक्षित, मोबाइल नं. 8989694769 और अजीत कुमार मोबाइल नं. 9910198552 पर संपर्क करें।**
27. यह प्रकाशन प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) और 9(1) के अनुसार, उपर्युक्त ऋण खाते के उधारकर्ता/बंधककर्ता/गारंटर को उपर्युक्त तिथि/स्थान पर नीलामी बिक्री आयोजित करने के बारे में 30 (तीस) दिन का नोटिस भी है।

विशेष निर्देश/सावधानी: बोलीदाताओं को अपने हित में अंतिम मिनटों/सेकंड में बोली लगाने से बचना चाहिए। ऐसे मामलों में बोलीदाता की ओर से किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता, बिजली विफलता, आदि) के लिए न तो कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। ऐसी आकस्मिक स्थिति से बचने के लिए, बोलीदाताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ/विकल्प जैसे कि बैकअप बिजली आपूर्ति और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएँ कर लें ताकि वे ऐसी स्थिति से बच सकें और नीलामी में सफलतापूर्वक भाग ले सकें।

स्थान: विदिशा दिनांक: 31-जुलाई-2026 **हस्ता/- (प्राधिकृत अधिकारी) कैप्री ग्लोबल हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

MANAPPURAM FINANCE LTD.

CIN : L65910KL1992PLC006623
Registered Office: W - 4/ 638A, Manappuram House, P.O. Valapad, Thrissur - 680 567, Kerala, India

निलामी सूचना

विशेषकर गिरवीकर्ताओं और सामान्य रूप में जनता को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि निम्नलिखित अकाउंट्स में रखे गए सोने के आभूषणों की सार्वजनिक नीलामी निम्नलिखित शाखाओं पर दिनांक 17/08/2026 को सुबह 10.00 बजे से किया जाएगा. हम ऐसे डिफॉल्टर ग्राहकों के सोने के आभूषणों की नीलामी करने जा रहे हैं जिन्होंने रजिस्टर्ड पत्र द्वारा सूचित किए जाने के बावजूद अपने लोन की रकम नहीं चुकाई है. जिन आयटम्स की नीलामी नहीं हो पाएगी, उनकी नीलामी किसी अन्य दिन बिना पुन: सूचना दिए की जाएगी. नीलामी के स्थान व तिथि (अगर कोई हो) में परिवर्तनों की कोई सूचना नीलामी केन्द्र या वेबसाइट पर लगाई जाएगी तथा इस बारे में कोई अन्य सूचना नहीं दी जाएगी.

गिरवियों की सूची :

भोपाल, अग्रसेन चौक, 0108250700068790, 0210, 0362, 1389, 1495, 1527, 2430, 2449, 3085, 3123, 0108250730028593, 9673, 4841, 5409, 6474, 7240, 7911, 5852, 5858, अरेरा कॉलोनी भोपाल, 0113970700030225, 0313, 0541, 0803, 1005, 1049, 1190, 1446, 1459, 1534, 1551, 1697, 1764, 1827, 1843, 1878, 1897, 1955, 1957, 2547, 2580, 2690, 2693, 2745, 2765, 2950, 2989, 4152, 0113970730061117, 2495, 4388, 5273, 5520, 5886, 6421, 6486, 7626, 8273, 8623, 9043, 9065, 9098, 9131, 9133,